



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या: : 32 -अ0प्र0 (2ब)/पाकालि/2009

दिनांक: 12 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में, एतद्वारा निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को स्तम्भ 3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर, स्तम्भ-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	अधि०अभि० का नाम/ अभि०सं०/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान,	स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (76378) (आजमगढ़)	अधिशासी अभियन्ता, केस्को, कानपुर	प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि० को आवंटित।
नोट- स्वयं के अनुरोध के कारण श्री सिंह को 'स्थानान्तरण यात्रा भत्ता' आदि देय नहीं होगा।			

2- उक्त तैनाती के आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-03-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।

4- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या-5910-गोपन/पाकालि (06)-2001 दिनांक 11.6.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 32 (1)-अ0प्र0(2ब)/पाकालि/2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/समस्त अधिशासी निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम), आगरा/लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/केस्को-कानपुर।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2)/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
4. अनु सचिव (गोपन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचनापट/कम्प्यूटर इकाई।

आज्ञा से,

(हरि मोहन) 12/10/09

संयुक्त सचिव (01)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या : 34 -अ0प्र0 (2ब) / पाकालि / 2009

दिनांक: 12 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन कार्यहित में, एतद्वारा निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ता को स्तम्भ 3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर, स्तम्भ-4 में उल्लिखित कार्यालय/स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	अधि०अभि० का नाम/ अभि०सं०/गृह जनपद	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान,	स्थानान्तरण के पश्चात् तैनाती का कार्यालय/स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव (76384) (गोरखपुर)	अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), लखनऊ	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, मुरादाबाद (रिक्त पद पर) ।
नोट- स्वयं के अनुरोध के कारण श्री श्रीवास्तव को 'स्थानान्तरण यात्रा भत्ता' आदि देय नहीं होगा ।			

2- उक्त तैनाती के आदेश जनहित याचिका संख्या 79/1997 में मा० सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21-03-2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

3- उपर्युक्त स्थानान्तरित अधिकारी को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त कर दिया जाये।

4- नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित कर लें कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश संख्या-5910-गोपन/पाकालि (06)-2001 दिनांक 11.6.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करता है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

संख्या: 34 (1)-अ0प्र0(2ब) / पाकालि / 2009 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक/समस्त निदेशक/समस्त अधिशासी निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक (डिस्कॉम), आगरा/लखनऊ/मेरठ/वाराणसी/केस्को-कानपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/2)/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5. अनु सचिव (गोपन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
6. अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष संख्या 407, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. सम्बन्धित अधिकारीगण/वैयक्तिक पत्रावली/कट फाइल/सूचनापट/कम्प्यूटर इकाई।

आज्ञा से,

(हरि मोहन) 12/10/09
संयुक्त सचिव (01)